(29)

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्याः74रिट/का-2-2003

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र चौनवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 12 अप्रैल, 2003

विषय- समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया 2001

महोदय,

कृपया रेडियोग्राम संख्या-74 रिट/का-2-2002, दिनांक 5 अप्रैल 2003 का संदर्भ लेने का कष्ट करें । इस रेडियोग्राम के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि शासन द्वारा समूह 'ग' के पदों पर वर्ष 2001 में आरम्भ की गई चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है । यह निर्णय रिट याचिका संख्याः31852/2002 अजीत कुमार सिंह तथा अन्य बनाम राज्य सरकार तथा अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 4-10-2002 के अनुपालन में लिया गया है ।

2- इन निर्देशों के अनुसार वर्ष 2001 की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती के बारे में निम्नवत् कार्यवाही की जानी है :-

(1) जहां नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये थे, वहां अभ्यर्थियों को संबंधित पदों पर योगदान करा लिया जाय ।

(2) जहां श्रेष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 तक प्रकाशित कर दी गई थी- अर्थात् नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित कर दी गई थी अथवा नियुक्ति प्राधिकारी को चयनित अभ्यर्थियों के नाम भेज दिये गये थे, उन्हें तदनुसार नियुक्ति पत्र जारी करके योगदान करा लिया जाय ।

(3) अवशेष मामलों में जहां लिखित परीक्षा हो चुकी थी, उसके आधार पर नई श्रेष्ठता सूची तत्समय प्रचलित समूह 'ग' सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया नियमावली, 2001 के अनुसार तैयार की जाय ।

(4) समूह 'ग' चयन प्रक्रिया सीधी भर्ती 2001 के संदर्भ में उक्त बिन्दु (3) से आच्छादित होने वाले मामलों में आरक्षण व्यवस्था उत्तर प्रदेश (उ0प्र0 लोक सेवा

...2/-

आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2001 के नियम 4(2) के अनुसार की जायेगी जो सम्प्रति निम्नवत् है:-

(क) अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण- 21 प्रतिशत

अनुसूचित जनजातियों के लिये- 2 प्रतिशत

अन्य पिछडे वर्गो के लिये- 27 प्रतिशत

(ख) उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 दिनांक 1 अप्रैल 2003 को प्रख्यापित किया गया है, अतएव जहां अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं उन पदों को अनुसूचित जाति के उपयुक्त अभ्यर्थियों से और जहां अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं वहां अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थियों से रिक्तियों को भरा जायेगा ।

3- इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि चूंकि उक्त कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में की जा रही है, अतः प्रत्येक नियुक्ति पत्र में विशेष रूप से यह उल्लिखित किया जाय कि "यह नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका संख्या 488/2001 अखिल भारतवर्षीय छात्र युवा बेरोजगार फ्रंट बनाम उ0प्र0 राज्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर की गई विशेष अपील संख्या- (डी) 120/2003 उ0प्र0 राज्य बनाम अजीत कुमार सिंह तथा अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।"

4- इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में चयन प्रक्रिया पूर्ण करके दिनांक 8 मई, 2003 तक मा0 न्यायालय को अवगत कराया जाना है अन्यथा अवमानना की स्थिति उत्पन्न होगी । अतः अनुरोध है कि कृपया 30-4-2003 तक चयन प्रक्रिया पूर्ण करके नियुक्ति पत्र निर्गत कर दें तथा अनुपालन आख्या अपने विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को प्रेषित सुनिश्चित कर दें। प्रशासकीय विभाग कृपया दिनांक 5-5-2003 तक संकलित सूचना सहित इस आशय का प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग को उपलब्ध करायेंगे कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र/आदेश निर्गत कर दिए गये हैं।

यदि कहीं कोई शंका उत्पन्न हो रही हो तो उसके निवारण के लिए पत्राचार करके समय नष्ट न किया जाए वरन् उसके निवारण हेतु व्यक्तिगत सम्पर्क कर लिया जाए।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
प्रमुख सचिव